



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128958

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16682 वर्ष 2026

रोहित निषाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : हरे राम पाण्डेय, वरुण शंकर द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता : अखिलेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता, गिरीश विश्वकर्मा

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. संशोधित पुस्तक में भी प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 191 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1), 87 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4, थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि घटना 04.03.2026 को हुई थी, जबकि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 08.03.2026 को दर्ज कराई गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं, और अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा किया गया है कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। पीड़िता को घटना के अगले दिन बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। इसलिए, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए पत्रावली पर चोट की कोई रिपोर्ट नहीं है। अन्वेषण के दौरान दर्ज किया गया पीड़िता का बयान अधिक विश्वास पैदा नहीं करता है। उसने कहा कि आवेदक द्वारा उसे एक मोटर साइकिल पर अपहृत किया गया था, हालाँकि उसके द्वारा कोई शोर-शराबा नहीं मचाया गया। यह आगे तर्क दिया गया है कि पीड़िता एक बालिग लड़की थी और, उसकी वास्तविक आयु छिपाने के उद्देश्य से, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अस्थिकरण परीक्षण नहीं कराया गया। वास्तव में, आवेदक और पीड़िता सहमति से संबंध में थे, और जब उनके परिवार के सदस्यों को इस संबंध के बारे में पता चला, तो अभियोजन पक्ष द्वारा एक झूठा मामला बना दिया गया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 08.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करने के उपरान्त तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान करने का मामला बनाया है।
7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- रोहित निषाद को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए:

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"